

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म.प्र.)

(आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024 में प्रथम संशोधन आदेश)

कमांक 233/सी.जे.एम./2024

जबलपुर, दिनांक 30.08.2024

मैं आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 29.05.2024 में प्रशासनिक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से निम्नानुसार संशोधन करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं शेष आदेश यथावत रहेगा—

1. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 01 (श्री आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर) के कॉलम कं. 03 से आरक्षी केन्द्र लार्डगंज को विलोपित किया जाता है।
2. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 29 (श्री राहुल छत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 04 की कंडिका कं. 03 को विलोपित किया जाता है।
3. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 26 (श्रीमती हर्षिता जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 03 में आरक्षी केन्द्र लार्डगंज समाहित किया जाता है एवं कॉलम कं. 04 में निम्नानुसार कंडिका कं. 02 समाहित की जाती है—
 2. आरक्षी केन्द्र लार्डगंज से उदभूत समस्त दांडिक प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न खात्मा प्रकरण।
4. तहसील न्यायालय पाटन के संबंध में कार्यविभाजन आदेश के सरल कमांक 04 (श्रीमती अमृता मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन जबलपुर) के कॉलम कमांक 03 से आरक्षी केन्द्र कटंगी को विलोपित किया जाता है।
5. तहसील न्यायालय पाटन के संबंध में कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 03 (सुश्री उजाला झा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन जबलपुर) के कॉलम कं. 03 में आरक्षी केन्द्र कटंगी एवं कॉलम कं. 04 में निम्नानुसार कंडिका समाहित की जाती है।
 2. आरक्षी केन्द्र कटंगी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन परिवाद प्रकरण एवं ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो को छोड़कर), परिवाद प्रकरण, खात्मा प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, धारा 138 निगो.इ. एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र.आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण।
6. कार्यविभाजन आदेश के अनुसूची कं. 01 के सरल कं. 13 के कॉलम कं. 04 (द्वितीय प्रभारी) में न्यायिक मजिस्ट्रेट का टंकण त्रुटिवश अंकित नाम श्री राकेश गर्ग को विलोपित कर उसके स्थान पर श्री राकेश भिडे प्रतिस्थापित किया जाता है।

7. कार्यविभाजन आदेश के अनुसूची कं. 02 (महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम से संबंधित अपराधों के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन को छोड़कर) से सरल कमांक 09 के कॉलम कं. 02 से आरक्षी केन्द्र कटंगी को विलोपित किया जाता है।

8. कार्यविभाजन आदेश के अनुसार अनुसूची कमांक 02 (महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम से संबंधित अपराधों के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन को छोड़कर) में निम्नानुसार नवीन सरल कमांक 15 समाहित किया जाता है—

क	आरक्षी केन्द्र	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
01	02	03	04	05
15	कटंगी	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी	श्रीमती रीतिका शर्मा खरे	श्री दशरथ सिंह मिडे

9. कार्यविभाजन आदेश के अनुसार अनुसूची कमांक 02 (महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम से संबंधित अपराधों के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन) के सरल कं. 07 के कॉलम कं. 04 से सुश्री पलक श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी. जबलपुर का नाम विलोपित कर श्रीमती अमृता मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. प्रतिस्थापित किया जाता है।



(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक/ /सी.जे.एम./2024

जबलपुर, दिनांक 30.08.2024

प्रतिलिपि:—

1. कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर/पाटन/सिहोरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर